प्रेस नोट- दिनांक- 17.09.2024, जनपद प्रतापगढ़

थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़

एसपी डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में गैंगस्टर एक्ट का 01अभियुक्त गिरफ्तार

सामूहिक दुष्कर्म, मारपीट, धमकी देने के अपराध में संलिप्त है अपराधी
गैंगस्टर पुनित पाल उर्फ विपिन पर गम्भीर धाराओं में थाना लीलापुर में दर्ज हैं अभियोग
अभियुक्त द्वारा अपने आपराधिक कृत्यों से समाज में भय एवं आतंक का माहोल पैदा कर आम जनता को आतंकित व भयभीत कर अनाधिकृत रूप से प्राप्त करते हैं आर्थिक, भौतिक व अनुचित लाभ
एएसपी पश्चिमी संजय राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज के नेतृत्व में गैगस्टर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा दी जा रही थी दबिश
प्रतापगढ़।
श्रीमान् पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराध एवं आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे प्रभावी कार्यवाही/ अभियान के तहत जनपदवासियों की सूरक्षा सुनिश्चित किये जाने एवं अपराध नियंत्रण के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक नरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में थाना लीलापुर पर दिनांक 16.09.2024 को मु0अ0सं0 356/24 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 बनाम पुनित पाल उर्फ विपिन पुत्र राजाराम निवासी ग्राम तिना थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ का अभियोग पंजीकृत किया गया था।
गैंगस्टर की गिरफ्तारी हेतु थाना लीलापुर पुलिस टीम द्वारा क्षेत्रान्तर्गत प्रभावी चेकिंग व अभियुक्त के संभावित स्थानों पर वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर जानकारी कर दबिश दी रही थी एवं
इसी क्रम में दिनांक 17.09.2024 को थाना लीलापुर के उ0नि0 शंहशाह खान मय हमराह हे0कां0 का0 रामजीत चौहान, चालक कां0 सौरव यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र, पेण्डिंग विवेचना, तलाश वांछित व वारण्टी, चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर क्षेत्रान्तर्गत बाबूगंज तिराहा सगरासुन्दरपुर के पास से गैंगस्टर पुनित पाल उर्फ विपिन पुत्र राजाराम निवासी ग्राम तिना थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ को गिरफ्तार किया गया।
अभियुक्त गैंगलीडर विनय पाल के द्वारा अपने गिरोह के सदस्य 01. पुनित पाल उर्फ विपिन पुत्र राजाराम निवासी ग्राम तिना थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ के साथ मिलकर दिनांक

30.01.2023 को वादिनी की पुत्री के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। जिस संबंध में थाना लीलापुर में अन्तर्गत धारा 376डी,506 भादवि व 5G/6 पॉक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त मुकमदें में जमानत पर छूटने के पश्चात गैंगलीडर विनय पाल व गिरोह के सदस्ट पुनित पाल उर्फ विपिन द्वारा दिनांक 23.03.2024 को वादिनी मुकदमा उपरोक्त को गाली देते हुये जान से मारने की धमकी देते हुये भयभीत किया था जिसके संबंध में थाना लीलापुर पर मु0अ0सं0- 110/24 धारा 504,506 भादवि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

आपराधिक इतिहास -

गैंगस्टर पुनित पाल उर्फ विपिन पुत्र राजाराम निवासी ग्राम तिना थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ-

1- अन्तर्गत धारा 376डी,506 भादवि व 5G/6 पॉक्सो एक्ट थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

2- मु0अ0सं0- 110/24 धारा 504,506 भादवि0 थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

3- मु0अ0सं0 356/24 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम1986।

पुलिस टीमः-उ0नि0 शंहशाह खान मय हमराह हे0कां0 का0 रामजीत चौहान, चालक कां0 सौरव यादव थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

<u>थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़</u>

थाना महेशगंज पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना महेशगंज के उ0नि0 विवेक कुमार यादव मय हमराह का0 दीपक कुमार, का0 रिंकू सिंह, का0 अश्वनी खरवार द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान अ0सं0- 243/09 UP. G. ACT स्पेशल ट्रायल नं0-64/10 थाना महेशगंज से संबंधित वारण्टी अभियुक्त 1- रमेश यादव पुत्र देवी प्रसाद यादव निवासी ग्राम ममईपुर थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़, 2- प्रदीप कुमार यादव पुत्र छविलाल यादव निवासी ममईपुर थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ को उनके घर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगणों का विवरण-

1- रमेश यादव पुत्र देवी प्रसाद यादव निवासी ग्राम ममईपुर थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़।

2- प्रदीप कुमार यादव पुत्र छविलाल यादव निवासी ममईपुर थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ।

पुलिस टीम-उ0नि0 विवेक कुमार यादव मय हमराह का0 दीपक कुमार, का0 रिंकू सिंह, का0 अश्वनी खरवार थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

एसपी द्वारा चेकिंग के दिये गये है सख्त निर्देश

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा चोरी की घटना से संबंधित 01 अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार

थाना नवाबगंज क्षेत्रान्तर्गत गौरी मोड़ परियावां के पास से 01 अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार

अभियुक्ता के पास से चोरी के 02 अदद मोबाइल फोन एन्ड्राइड व 03 अदद कीपैड मोबाइल फोन बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त का विवरण-

दिनांक 16/17.09.2024 को थाना नवाबगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम केरावडीह निवासी संजय कुमार मौर्या पुत्र रामदुलारे मौर्या का मोबाइल फोन चोरी करने के संबंध मे प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नवाबगंज में मु0अ0सं0 159/2024 धारा 303(2) बीएनएस बनाम 01 लड़की नाम पता अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अजीत सिंह के पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक थाना नवाबगंज श्री धीरेन्द्र ठाकुर के नेतृत्व में उ0नि0 रमेश सिंह मय हमराह का0 विनोद यादव, म0का0 इति सिंह,म0का0 लवली द्वारा तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुकदमा वादी की सूचना पर थाना नवाबगंज के मु0अ0सं0 159/2024 धारा 303(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्ता पिंकी कुमारी यादव पुत्री रविन्द्र राय निवासी सब्बलपुर नेवल टोला थाना सोनेपुर जनपद सारन राज्य बिहार को थाना नवाबगंज क्षेत्रान्तर्गत गौरी मोड़ परियावां के पास से चोरी के 02 अदद मोबाइल फोन व 03 अदद कीपैड मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के आधार पर अभियोग उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस भादवि की बढ़ोत्तरी की गई।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण-

1- अभियुक्ता पिंकी कुमारी यादव पुत्री रविन्द्र राय निवासी सब्बलपुर नेवल टोला थाना सोनेपुर जनपद सारन राज्य बिहार।

बरामदगी-

1- 02 अदद मोबाइल फोन एन्ड्राइड व 03 अदद कीपैड मोबाइल फोन।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 रमेश सिंह मय हमराह का0 विनोद यादव, म0का0 इति सिंह,म0का0 लवली थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

थाना फतनपुर पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत जगदीशपुर बाग के पास से अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अभियुक्त विजय यादव के कब्जे से 03 अदद देशी बम किया गया बरामद

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक(पूर्वी) श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्वेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना फतनपुर राकेश कुमार राय के नेतृत्व में उ0नि0 प्रभांशु कुमार राय मय हमराह हे0का0 राजेश सिंह यादव, कां0 धुर्वेश कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर दिनांक 17.09.2024 को 03 अदद देशी बम के साथ 01 अभियुक्त विजय यादव पुत्र महेन्द्र कुमार यादव निवासी बीरापुर थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र के जगदीशपुर बाग के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त विजय यादव पुत्र महेन्द्र कुमार यादव निवासी बीरापुर थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ के कब्जे से 03 अदद देशी बम बरामद किया गया। बरामदगी के संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 206/2024 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

विजय यादव पुत्र महेन्द्र कुमार यादव निवासी बीरापुर थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी- 03 अदद देशी बम बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 प्रभांशु कुमार राय मय हमराह हे0का0 राजेश सिंह यादव, कां0 धुर्वेश कुमार थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।